तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
01/6/18	[illegible] केस कोर्ट में पेश हुई। [illegible] उपस्थित। [illegible] अमानती [illegible] किया गया। [illegible] प्रथम दृष्टया केस का गठित किया जाना प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा दिनांक 28.11.11 के नारी अलाई निवेदिका को ता फैसला हाजा रजाई (confirm) किया जाता है। अभियोगा को ता फैसला हाजा पाबन्द किया जाता है कि वो अ०प्र०सं० 5 39, 444 वाले ग्राम [illegible] में कार्यवाही [illegible] अभियोगा को [illegible] व अन्य [illegible] पैदा ना करे। [illegible] इत्तला [illegible] नहीं करेंगे। अमानती [illegible] होने पर [illegible] सुनाया। SDO